

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर

पपुराम पुत्र गोपाराम

बनाम

शंकरलाल पुत्र कानाराम वगैराह

किरम मुकदमा 53,188 राज. काश्तकारी अधि.

मुकदमा नम्बर 88/2020

सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई
10.09.2020	वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 13.10.2020 को पेश हों।	
13- <sup>10</sup> / <sub>20</sub>	पत्रावली प्रस्तुत हुई। कोर्ट (कोर्टोना कायदा) के कारण कोर्ट में पत्रावली पेश करने में देर हो गई। पत्रावली पूर्ण अदालत में पेश की जायेगी दिनांक 12/11/2020 को पेश हो।	
11- <sup>12</sup> / <sub>20</sub>	पत्रावली प्रस्तुत हुई। कोर्ट (कोर्टोना कायदा) के कारण कोर्ट में पत्रावली पेश करने में देर हो गई। पत्रावली पूर्ण अदालत में पेश की जायेगी दिनांक 31/12/2020 को पेश हो।	
31/12/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। कोर्ट (कोर्टोना कायदा) के कारण कोर्ट में पत्रावली पेश करने में देर हो गई। पत्रावली पूर्ण अदालत में पेश की जायेगी दिनांक 17/2/2021 को पेश हो।	
11/2/21	पत्रावली पेश हुई। कोर्ट (कोर्टोना कायदा) के कारण कोर्ट में पत्रावली पेश करने में देर हो गई। पत्रावली पूर्ण अदालत में पेश की जायेगी दिनांक 14/3/21 को पेश हो।	
14/3/21	पत्रावली पेश हुई। कोर्ट (कोर्टोना कायदा) के कारण कोर्ट में पत्रावली पेश करने में देर हो गई। पत्रावली पूर्ण अदालत में पेश की जायेगी दिनांक 15/3/21 को पेश हो।	
15/3/21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। कोर्ट (कोर्टोना कायदा) के कारण कोर्ट में पत्रावली पेश करने में देर हो गई। पत्रावली पूर्ण अदालत में पेश की जायेगी दिनांक 31/3/21 को पेश हो।	



फर्द अहकाम

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई
8/3/25	<p>पत्रावली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 में पेश हुई। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र विद्दो का पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थी/वादी उक्त वाद/प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र विद्दा स्वीकार करते हुए मूल वाद/प्रार्थना पत्र जरिये विद्दो निस्तारित किया जावें। प्रार्थना पत्र विद्दो का अवलोकन किया गया। अतः लोक अदालत की भावना के तहत प्रार्थना पत्र विद्दो स्वीकार किया जाता है। पत्रावली जरिये विद्दो निस्तारित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>अखण्ड अधिकारी, बालेसर</p>	